



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षणकेन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल-ro.raipur@ibm.gov.in



No-CHG/BBR/Lst-01/NGP

खानकोड- 38CHG19001

दिनांक:-23/09/2022

प्रेषित-

श्री जयकुमार कृष्णास्वामी,  
नामित खान मालिक,  
रिसदा कुकुरडीह चूनापत्थरखान,  
सर्वश्री नु विस्टा लिमिटेड,  
एकुइनोक्स बिज़नस पार्क, टावर 3,  
पूर्वविंग, 04 वींमंजिल, LBS मार्ग,  
कुर्लापश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र-400070  
ईमेल-jayakumar.krishnaswamy@nuvoco.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापरा जिले में स्थित आपके रिसदा कुकुरडीह चूना पत्थर खान 395.05 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 09.09.2022 को अधोहस्ताक्षरी एवं ईस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री अजय खारे, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>Modification of Review of Mining Plan was approved vide this office letter no. बलौदा/चुप/खयो-1226/2019/रायपुर dated 18/01/2020 for the period of 2020-21 to 2023-24. The deviation observed during the inspection in mining operation vis-a-vis approved document are given below;</p> <p>(i) It was observed that production and development of Pit 1 situated towards the south western side of the ML area was not carried out within the proposed grids.</p> <p>(ii) Only 44, 92,338 Tons of limestone was excavated against the proposed quantity of 89, 99,774 Tons &amp; 6,65,102 tons of Overburden was handled against the proposal of 13,10,050 tons resulting in (-) 50% deviation.</p> <p>(iii) The OB dumping in the eastern side was carried out in location (E616220-616300 &amp; N2393750-2393900) against the proposed location of E616033-616211&amp; N2393750-2393900.</p>
13(2)	The benches in overburden were not kept sufficiently advanced from the limestone benches in pit 1 & pit 2, thereby interfering with the working of mineral bench.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021के नियम 11(2) के अंतर्गत।

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन **11(1) एवं 13(2)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो